



## 'मैं भी डजिटल 3.0' अभियान

### प्रलम्बिस के लयि

प्रधानमंत्रि सट्रीट वेंडरस आतमनरिभर नधि' योजना, 'मैं भी डजिटल 3.0' अभियान

### मेन्स के लयि

सट्रीट वेंडरस की आरथकि सहायता हेतु सरकार द्वारा कयि गए प्रयास

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने [प्रधानमंत्री सट्रीट वेंडरस आतमनरिभर नधि' योजना](#) के तहत 'मैं भी डजिटल 3.0' अभियान शुरू कयि ।

## प्रमुख बडि

### ■ मैं भी डजिटल 3.0

- यह सट्रीट वेंडरस के लयि [डजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग \(DOaT\)](#) हेतु एक वशिष अभियान है ।
- इसका उद्देश्य उन सट्रीट वेंडरस को डजिटल रूप से शामिल करना है, जनिहें पहले ही [प्रधानमंत्री स्वनधि' योजना](#) के तहत ऋण प्रदान कयि जा चुका है ।
- इसके तहत ऋण देने वाली संस्थाओं (LIs) को संवतिरण के समय एक स्थायी क्यूआर कोड और '[एकीकृत भुगतान इंटरफेस](#)' (UPI) आईडी जारी करने और डजिटल लेनदेन के संचालन में लाभार्थियों को प्रशिक्षति करने का नरिदेश दयि गया है ।
- इस योजना के कारयान्वयन के लयि एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म वकिसति कयि गया है । सट्रीट वेंडरस सीधे प्रधानमंत्री स्वनधि' पोर्टल के माध्यम से ऋण के लयि आवेदन कर सकते हैं ।

### ■ प्रधानमंत्री सट्रीट वेंडरस आतमनरिभर नधि'

#### ○ परचिय:

- इसे [आतमानरिभर भारत अभियान](#) के तहत आरथकि प्रोत्साहन- II के एक हसिसे के रूप में घोषति कयि गया था ।
- इसे 1 जून, 2020 से लागू कयि गया है, ताकि सट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फरि से शुरू करने के लयि कफायती कारयशील पूंजी ऋण प्रदान कयि जा सके, जो कोवडि -19 लॉकडाउन के कारण प्रतकिल रूप से प्रभावति हुए हैं । इसे 700 करोड रुपए के स्वीकृत बजट के साथ लागू कयि गया था ।

#### ○ उद्देश्य

- 50 लाख से अधिक सट्रीट वेंडरों को लाभान्वति करना, जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे थे, जनिमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे ।
- 1,200 रुपए प्रतविरष की राशतिक कैश-बैंक प्रोत्साहन के माध्यम से डजिटल लेनदेन को बढावा देना । ।
  - 31 जनवरी, 2021 तक, पीएम स्वनधि' योजना के तहत 13.82 लाख लाभार्थियों को 1,363.88 करोड रुपए के ऋण वतिरति कयि गये हैं ।

#### ○ वशिषताएँ:

- वकिरेता 10,00 रुपए तक का कारयशील पूंजी ऋण प्रापूत कर सकते हैं । जो एक वर्ष के कारयकाल में मासकि कसितों में चुकाया जा सकता है ।
- ऋण को समय पर/जल्दी चुकता करने पर, त्रैमासकि आधार पर [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण](#) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रतविरष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी ।
- ऋण की शीघर अदायगी पर कोई जुरमाना नहीं लगेगा । वकिरेता ऋण की समय पर/शीघर अदायगी पर बढी हुई ऋण सीमा की सुवधि का लाभ उठा सकते हैं ।

#### ○ चुनौतियाँ:

- कई बैंक 100 और रु. 500. रुपए के बीच के आवेदन सटांप पेपर पर मांग रहे हैं ।
- बैंकों द्वारा पैन कार्ड मांगने और यहाँ तक कि आवेदकों के CIBIL या क्रेडिट स्कोर की जाँच करने अथवा राज्य के अधिकारियों

- द्वारा मतदाता पहचान पत्र मांगने के भी मामले सामने आए हैं, जबकि प्रायः प्रवासी वकिरेता अपने साथ ये दस्तावेज़ नहीं रखते हैं।
- CIBIL स्कोर किसी के क्रेडिट इतिहास का मूल्यांकन है और ऋण के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करता है।
  - पुलिस और नगर नगिम के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें भी सामने आई हैं।

## स्ट्रीट वेंडर्स के लिये अन्य पहलें:

- [प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।](#)
- [प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।](#)
- [जन-धन योजना।](#)
- [भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996।](#)
- [प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।](#)
- [प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।](#)

## आगे की राह

- **PM SVANidhi योजना स्थायी होनी चाहिये:** इसे 'अल्ट्रा-सूक्ष्म उद्योगों' (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिये एक स्थायी विकास योजना के रूप में फरि से तैयार किया जाना चाहिये। यह उन्हें स्थायी आधार पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- **नगरानी समितियों में अखलि भारतीय वकिरेता प्रतनिधियों को शामिल करना:** पीएम स्वनधियोजना दशिया-नरिदेशों की धारा 19 (इसकी प्रगति का आकलन करने के लिये केंद्रीय, राज्य और स्थानीय नगरानी समितियों की स्थापना) को संशोधित किया जाना चाहिये ताकि वेंडर यूनियनों के प्रतनिधियों को शामिल किया जा सके। ये योजना की अवधारणा में शामिल थे, इसलिये इसके कार्यान्वयन में भी शामिल किया जाना चाहिये।
- **स्थानीय प्रशासन का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार काम करना:** स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 में वभिन्न जिलों में टीवीसी (टाउन वेंडिंग कमेटी) के गठन की परकिल्पना की गई है ताकि सरकार द्वारा पहचाने गए सभी स्ट्रीट वेंडर्स को मानदंडों के अधीन वेंडिंग ज़ोन में समायोजित किया जा सके।
  - वकिरेताओं की व्यापक बेदखली और उत्पीड़न से बचने के लिये योजना के साथ-साथ संबंधित प्रक्रियाओं जैसे कि वेंडिंग ज़ोन घोषित करना, राज्य के नयिमों, योजनाओं और उप-नयिमों का मसौदा तैयार करने को भी इस अधिनियम के तहत शामिल किया जाना चाहिये।

## स्रोत- पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/main-bhi-digital-3-0-campaign>

